लोपचंद नरूजी जाट और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

10 सितंबर, 2004

[न्यायाधिपति अरिजीत पासायत,न्यायाधिपति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर]

आपराधिक मुकदमे: जांच अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि टिकाऊ है। विस्फोटक अधिनियम, 1884: धारा 9-बी(i)(बी)-अभियोजन की पूर्व मंजूरी-आवश्यक नहीं।

धारा 4(डी)-विस्फोटक नियम, 1983-वर्ग 2 और वर्ग 6-नुसूची-1-गोला बारूद डायनामाइट- धारित ये विस्फोटक हैं।

अपीलकर्ताओं पर 180 डेटोनेटर (अमोनियम ट्यूब और बिजली के लाल तारों के साथ एल्यूमीनियम डायनामाइट) रखने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9-बी (i) (बी) और टाडा 1985 की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को 1884 के अधिनियम की धारा 9-बी (i) (बी) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ एक वर्ष के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, लेकिन टाडा 1985 की

धारा 5 के तहत उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा अभियोजन की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही अवैध थी, इसलिए बरामद वस्तुओं को विस्फोटक नहीं कहा जा सकता और अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था; कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था और जांच अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी; और चूंकि अपीलकर्ताओं ने लगभग 10 वर्षों तक मुकदमे का सामना किया था, इसलिए उन्हें हिरासत की सजा का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि इसके तहत कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी, 1884 का विस्फोटक अधिनियम; विस्फोटक नियंत्रक की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पदार्थ विस्फोटक नियम 1983 की अनुसूची I के तहत वर्ग 2 और वर्ग 6 का विस्फोटक था और दोषसिद्धि और सजा उचित है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए माना गया:

1. विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है और इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। [331-एच)

2. साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बरामद किए गए पदार्थ अनुसूची-I के वर्ग 2 और वर्ग 6 के विस्फोटक थे। (332-बी)

3. जब जांच अधिकारी को भरोसेमंद पाया गया और गहन जिरह के बावजूद, उसके साक्ष्य को बदनाम करने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं लाई गई, तो ट्रायल कोर्ट को केवल उसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज करने में उचित ठहराया गया। (333-ई)

4. हिरासत की सज़ा और लगाए गए जुर्माने में किसी भी तरह की कटौती की आवश्यकता नहीं है। [333-जी

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 580/1999

1998 के सीआरएल ए नंबर 998 में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 1.12.98 से।

विमल चंद और एस दवे - अपीलार्थी की ओर से।

श्रीमती एच. वाही के लिए सुश्री विभा दत्ता मखीजा और सुश्री साधना संधू - उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति अरिजीत पासायत:

अपीलकर्ताओं ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 9-बी (i) (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनकी सजा को बरकरार रखते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है। विचारण न्यायालय ने

प्रत्येक अपीलकर्ता को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना अदा किया।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

20.4.1988 को अपीलकर्ता इंदौर से सूरत आए और बस स्टैंड पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनके पास 180 डेटोनेटर पाए गए। अपीलकर्ता-अभियुक्तों के विरुद्ध 1990 का एक आपराधिक मामला संख्या 4 दर्ज किया गया था। उन पर अधिनियम की धारा 9-बी (i) (बी) और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'टाडा') की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.1998 द्वारा, आरोपियों को टाडा की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया। हालाँकि, उन्हें अधिनियम की धारा 9-बी (i) (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ताओं का रुख यह था कि अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही अवैध थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं से बरामद वस्तुओं को विस्फोटक नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, अपीलकर्ताओं को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था और केवल जांच अधिकारी के साक्ष्य पर भरोसा किया गया था, इसलिए

दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए थी। शेष रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं ने लगभग 10 वर्षों तक मुकदमे का सामना किया है और उन्हें हिरासत की सजा का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि धारा 9-बी (i) (बी) में ही प्रावधान है कि केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतिवादी-राज्य का रुख था कि अधिनियम के तहत कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी।विस्फोटक नियंत्रक, बड़ौदा की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि अपीलकर्ताओं से बरामद पदार्थ विस्फोटक नियम, 1983 ('नियमों' का संक्षिप्त विवरण) की अनुसूची I में निर्धारित श्रेणी 2 का विस्फोटक था और साथ ही श्रेणी 6 का विस्फोटक था जैसा कि इसमें उक्त अनुसूची में परिभाषित किया गया है। विस्फोटक रखने, परिवहन और उपयोग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। चूंकि बरामद किया गया पदार्थ अधिनियम की धारा 4 (डी) में परिभाषित एक विस्फोटक था और कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था, इसलिए दोषसिद्धि उचित थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन के लिए अधिनियम के तहत कोई मंजूरी आवश्यक नहीं थी। बरामद वस्तुएं विस्फोटक थीं और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो सज़ा दी गई वह उचित थी।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किए गए बिंदुओं को दोहराया, जवाब में प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने विचारण अदालतों के फैसले का समर्थन किया।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मंजूरी से संबंधित याचिका दो क़ानूनों यानी अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (संक्षेप में 'विस्फोटक पदार्थ अधिनियम') के बीच भ्रम पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की पूर्व मंजूरी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है और अधिनियम में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। इसलिएविचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करना उचित था। इस सवाल पर कि क्या जब्त किए गए सामान विस्फोटक थे, विस्फोटक नियंत्रक की रिपोर्ट, जिसे प्रदर्श-73 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, स्पष्ट रूप से खुलासा करती है कि बरामद किए गए पदार्थ अनुसूची I की वर्ग 2 और वर्ग 6 के विस्फोटक थे। विस्फोटकों को कायम नहीं रखा जा सकता।

दो वर्ग इस प्रकार हैं:

"वर्ग 2- नाइट्रेट मिश्रण वर्ग:

नाइट्रेट-मिश्रण" का अर्थ बारूद के अलावा कोई भी तैयारी है, जो किसी भी प्रकार के कार्बन के साथ नाइट्रेट के यांत्रिक मिश्रण और विस्फोटक गुणों से रहित किसी भी कार्बनयुक्त पदार्थ से बनी होती है, चाहे ऐसी तैयारी में सल्फर मिलाया जाए या नहीं, और क्या ऐसी तैयारी यांत्रिक रूप से किसी अन्य गैर-विस्फोटक पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं की गई है, और इसमें परक्लोरेट युक्त कोई भी विस्फोटक शामिल है और जो इस अनुसूची में परिभाषित क्लोरेट मिश्रण, फुलमिनेट या नाइट्रो-यौगिक नहीं है।

वर्ग 6- गोला बारूद वर्ग :

(1) "गोला-बारूद" का अर्थ पूर्वगामी वर्गों में से किसी एक विस्फोटक से है, जब वह किसी मामले या युक्ति में संलग्न हो, या अन्यथा अनुकूलित या तैयार किया गया हो ताकि वह बन सके:

(ए) छोटे ऐन, तोप या किसी अन्य हथियार के लिए कारतूस या चार्ज, या

(बी) ब्लास्टिंग या गोले के लिए एक सुरक्षा या अन्य फ्यूज, या

(सी) विस्फोटक फायरिंग के लिए एक ट्यूब, या

(डी) पर्कशन कैप, डेटोनेटर, फॉग सिग्नल, शेल, टारपीडो, युद्ध रॉकेट या आतिशबाजी के अलावा कोई अन्य उपकरण।

(2) गोला-बारूद वर्ग के तीन प्रभाग हैं, अर्थात् प्रभाग 1, प्रभाग 2 और प्रभाग 3.

(3) डिवीजन 1 में विशेष रूप से (i) सुरक्षा कारतूस शामिल हैं; (ii) ब्लास्टिंग के लिए सुरक्षा फ़्यूज़, (iii) सिग्नल के लिए रेलवे, और (iv) पर्कशन कैप

(4) डिवीज़न 2 में कोई भी गोला-बारूद शामिल है, जिसमें प्रज्वलन के अपने साधन नहीं हैं और डिवीज़न 1 में शामिल नहीं है, जैसे कि सुरक्षा कारतूसों के अलावा छोटे हथियारों के लिए कारतूस और किसी भी विस्फोटक वाले सामान्य गोले और टॉरपीडो के लिए शुल्क, विस्फोटकों को

फायर करने के लिए ट्यूब, और युद्ध रॉकेट, जिसमें प्रज्वलन के अपने साधन नहीं होते हैं।

(5) डिवीजन 3 में कोई भी गोला-बारूद शामिल है जिसमें प्रज्वलन के अपने साधन शामिल हैं और डिवीजन 1 में शामिल नहीं है, जैसे डेटोनेटर, ब्लास्टिंग के लिए फ़्यूज़ जो सुरक्षा फ़्यूज़ नहीं हैं, विस्फोटकों को फायर करने के लिए ट्यूब, जिसमें इग्निशन के अपने साधन शामिल हैं।

नोट-अभिव्यक्ति "गोला-बारूद जिसमें अपने स्वयं के ज्वलन के साधन शामिल हैं" का अर्थ है गोला-बारूद की एक ऐसी व्यवस्था होना, चाहे वह गोला-बारूद से जुड़ा हो या गोला-बारूद का हिस्सा हो, जो घर्षण या टकराव द्वारा गोला-बारूद को विस्फोट करने या फायर करने के लिए अनुकूलित हो। "पर्कशन कैप" में डेटोनेटर शामिल नहीं है।

स्थापित अभियोजन संस्करण के अनुसार अभियुक्तों के कब्जे से 180 नग गोला-बारूद डायनामाइट पाए गए। नीचे दिए गए साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालतों ने पाया कि बिजली के लाल तार के साथ अमोनियम ट्यूब बरामद किए गए थे। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, ये वस्तुएं निर्विवाद रूप से वर्ग -6 के अंतर्गत आती हैं।

अपीलकर्ताओं से बरामद पदार्थ स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 4 (डी) के अनुसार "विस्फोटक" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जब जांच अधिकारी को भरोसेमंद पाया गया और गहन जिरह के बावजूद, उसके साक्ष्य को बदनाम करने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं लाई गई, तो

विचारण न्यायालय को केवल उसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि दर्ज करने में उचित ठहराया गया।

सज़ा के बारे में दलील पर आते हुए यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि 180 डेटोनेटर जब्त किए गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा इसका मूल्य 900 रुपये तय किया गया है। जब्त की गई मात्रा इस दलील को स्पष्ट रूप से खारिज करती है कि जब्त की गई वस्तुओं का उपयोग कुएं खोदने के लिए किया जाना था। पता चला कि डेटोनेटर उड़ीसा के राउरकेला की एक कंपनी के थे और दूर सूरत में जब्त किए गए थे। यह तथ्य कि जब पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की, यह एक महत्वपूर्ण कारक है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में हिरासत की सजा और लगाए गए जुर्माने में किसी भी तरह की कमी की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

वी एम

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।